# अध्याय-1

"संशोधित"

## पात्रता परीक्षा संबंधी नियम

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी:-

**1. पद का विवरण - उच्च माध्यमिक शिक्षक**

**2. पद की श्रेणी - द्वितीय (राजपत्रित)**

**3. पदों की संभावित संख्या**

| स.क्र. | पदों का विवरण | पदों की संखया (लगभग) |
|---|---|---|
| (1) | **उच्च माध्यमिक शिक्षक** | **17000** |

पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। प्रथम चरण में 15,000 पदों की पूर्ति की जायेगी | शेष पदों की पूर्ति द्वितीय चरण में की जावेगी |

**3. पदों का वेतन**

| **स.क्र.** | **पदों का विवरण** | **वेतन** |
|---|---|---|
| 1. | उच्च माध्यमिक शिक्षक | न्यूनतम वेतन रूपये 36200+महंगाई भत्ता |

**टीप:- मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षित नियम, 2017 के अनुसार |**

**4. आवेदन पत्र / निर्देश पुस्तिका**

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पी.ई.बी.) भोपाल के निर्देशानुसार होगा।

**5. परीक्षा केन्द्र**

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पी.ई.बी.) भोपाल के निर्देशानुसार होगा।

**6. (अ) निर्धारित शैक्षणिक योग्यता**

(1) **उच्च माध्यमिक शिक्षक** के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता निम्नलिखित अनुसार होगी :-
"संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बी.एड़ या उसके समकक्ष"

**(ब)** "शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले विज्ञापन की तिथि होगी | अर्थात् उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची /उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा |"

05/10/18 5/10/18

## 7. पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हकारी प्राप्तांक **"संशोधित"**

(1) शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिये न्यूनतम अंकों का प्रतिशत प्रवर्गवार निम्नलिखित अनुसार होगा :-

| पदनाम | अनु0जा0/अनु0ज0जा0/ पिछडा वर्ग/दिव्यांगजन | अन्य |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| उच्च माध्यमिक शिक्षक | 50 % | 60 % |

स्पष्टीकरण :-

(1) पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा | स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्ते पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी |

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों केवल उन्हें न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्हकारी अंक का लाभ प्राप्त होगा | अन्य राज्य के आवेदकों के लिये न्यूनतम अर्हकारी अंक का 60 प्रतिशत होंगे |

(3) दिव्यांगजन आवेदकों के लिये न्यूनतम अर्हकारी अंक 50 प्रतिशत होंगे |

(4) पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण-पत्र दिया जाएगा जिसमे पात्रता परीक्षा के प्राप्तांको का दशमलव के दो अंकों तक उल्लेख किया जाएगा | प्राप्तांको को राउंडऑफ नहीं किया जायेगा |

(5) (क) पात्रता परीक्षा के परिणाम की विषयवार एकीकृत सूची जारी की जायेगी | इस सूची में यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, दिव्यांगजन श्रेणी, महिला एवं अतिथि शिक्षक आदि का उल्लेख होगा |

(ख) मेरिट सूची तैयार करने तथा नियोजन की प्रक्रिया मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 01-119/2018/20-1 दिनांक 28.08.2018 एवं नियुक्ति के समय इस सम्बन्ध में प्रचलित निर्देशों के अनुसार होगी।

(6) एक से अधिक विषयों में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बी.एड़ या उसके समकक्ष उपाधि प्राप्त आवेदक को एक से अधिक विषयों में पृथक-पृथक आवेदन करने का अवसर प्राप्त होगा |

## 8. निर्धारित आयु सीमा

(8.1) न्यूनतम आयु - 21 वर्ष

(8.2) अधिकतम आयु निम्नानुसार होगी :-

| क्र. | आवेदक | अधिकतम आयु | अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो, उनकी अधिकतम आयु सीमा बाहर के आवेदकों लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |

05/10/18

## अध्याय-2

"संशोधित"

### प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

**खण्ड-अ**

2.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। **अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभॉति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।**

(ii) आवेदक अपने आवेदन पत्र में एक से अधिक विषयों का विकल्प भर सकता हैं। जिसके लिए प्रति प्रश्न पत्र अनुसार परीक्षा शुल्क देय होगा।

2.2 (i) अध्याय-1 के बिंदु क्रमांक 7 (2) के नियमानुसार।

(ii) अध्याय-1 के बिंदु क्रमांक-7(2) में विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले विज्ञापन की तिथि के पश्चात् किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।

(iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख / संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश / चयन / नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

(vi) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर **अभ्यर्थी** की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

2.3 **परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-**

(i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।

(ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)

(iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य।

2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णत: वर्जित है।

2.5 **लिखित परीक्षा में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ :-**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी.ई.बी. के आदेश क्रमांक पी.ई.बी./प-1/3454/2018 भोपाल दिनांक 13/07/2018 के अनुसार लिखित परीक्षा में दिव्यांगजन के लिए निम्नानुसार सुविधाऍ प्रदान की जायेगी :-

05/10/18 05/10/18

**(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-** **"संशोधित"**

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) नि:शक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से नि:शक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

**(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाऐं:-**

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान की जावेगी । सहायक अथवा अतिरिक्त समय की सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ-पत्र सहित पी.ई.बी. कार्यालय को परीक्षा दिनांक से दस दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगी ताकि पी.ई.बी. स्तर पर नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके । अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तो के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी ।

**(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्ते:-**

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिये जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्तता, परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से कम होना चाहिये । उदाहरण के लिये यदि परीक्षार्थी की शैक्षणिक योग्तया स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकेण्डरी होना चाहिये।

**(ii) अतिरिक्त समय हेतु शर्ते :-**

यदि अभ्यर्थी अतिरिक्त समय हेतु आवेदन करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

| | |
|---|---|
| 3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए | 60 मिनट |
| 2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए | 50 मिनट |
| 2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए | 40 मिनट |
| 1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए | 30 मिनट |

**(स) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाऐं :-**

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा ।

**2.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-**

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। **प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर**

05/10/18 05/10/18